...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...3-2020	राजस्व वाद संख्या 110/2013 अनवान लसकी बनाम हापूराम वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया गया। जिसमें वादीनी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार लूणी मौजा पीपरली के खसरा नम्बर 241 रकबा 44.02 बीघा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा कर प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश करने के आदेश दिनांक 21.11.2013 को दिये गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार लूणी द्वारा पत्रांक भू.अ./2020/4382 दिनांक 12.02.2020 के द्वारा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार वादीनी लसकी पुत्री आईदानराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा गोपाराम पुत्र चुतराराम जाति मेघवाल सा. रोहिचाखुर्द को एवं प्रतिवादी हापुराम गोदपुत्र आईदानराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बाबूराम पुत्र लूम्बाराम जाति मेघवाल निवासी अरढवाड़ा तहसील शिवगंज जिला सिरोही को बेचान कर दिया गया। इस अनुसार वादीनी एवं प्रतिवादी दोनो ही उक्त खसरे में अब खातेदार दर्ज नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त वाद में वादीनी एवं प्रतिवादी अब वाद में वर्णित भूमि के खातेदार नहीं होने से वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर)	

Scanned by CamScanner